<u>प्रतिवेद्य</u>

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र

<u>सिविल अपील सं. 1757 / 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 32812 / 2018 से उद्भूत)

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .... अपीलार्थी(गण)

बनाम

विजय शंकर दुबे .... प्रत्यर्थी(गण)

<u>नि र्ण य</u>

यह उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर की गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, लखनऊ पीठ के निर्णय 01.11.2017 दिनांकित को चुनौती देने वाली अपील है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका 01.01.1996 दिनांकित से की जा रही उच्च वेतनमान के लाभ को अनुमति दी गई है।

2. इस अपील को तय करने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रत्यर्थी दिनांक 11.02.1963 को प्रारंभतः सहायक लोक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था। प्रत्यर्थी को दिनांक 12.06.1964 को संयुक्त निदेशक, अभियोजन के वर्ग–I के पद के रूप में पदोन्नत किया गया था।

प्रत्यर्थी ने दिनांक 31.01.1997 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की। सेवानिवृत्ति के समय वह चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रु. 3700–5000 के वेतनमान में था। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर संयुक्त निदेशक के पद के लिए वेतनमान, अभियोजन को संशोधित कर 3700–5000 रुपये के स्थान पर 12000–16500 रुपये कर दिया गया। तदनुसार, प्रतिवादी के वेतनमान को संशोधित किया गया था और उसे संशोधित पेंशन भी दी गई थी।

3. सरकार द्वारा दिनांक 02.02.1997 को स्वीकार की गई पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप वेतनमान के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन और आपत्तियों पर विचार करने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसे विसंगतियों पर विचार करने के लिए समिति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। उक्त समिति द्वारा अभियोजन शाखा के पद के वेतनमान में संशोधन पर भी विचार किया गया। समिति ने सिफारिश किया कि दिनांक 01.04.2001 से केंद्र के सीबीआई संगठन में मौजूद पद के अनुरूप अभियोजन संवर्ग की विभिन्न

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

श्रेणियों के वेतनमान को उत्थान किया जाना चाहिए। संयुक्त निदेशक के पद के लिए, अभियोजन वेतनमान को दिनांक 01.04.2001 के प्रभाव से रू. 14300–18500 में संशोधित करने की सिफारिश की गई थी। सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और संयुक्त निदेशक अभियोजन के वेतनमान में दिनांक 01.04.2001 से संशोधन के लिए 02.02.2007 दिनांकित को जारी आदेश की सिफारिश को स्वीकार किया गया था।

4. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में रिट–क सं.18687/2013 दायर किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से रिट याचिका को उच्च न्यायालय के दो पूर्व निर्णयों यानी विशेष अपील (डी) सं. 870/2009 (उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम आनंद कुमार मिश्रा एवं अन्य) और विशेष अपील सं.115 (एसबी)/2009 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम घनश्याम सिंह एवं एक अन्य पर अवलम्ब लेते हुए अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रतिवादी का मामला उच्च न्यायालय के निर्णय उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम आनंद कुमार मिश्रा एवं अन्य द्वारा पूर्णतः आच्छादित किया गया है, प्रतिवादी दिनांक 01.01.1996 से संशोधित वेतनमान के लाभ का हकदार है। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील उ.प्र. राज्य एवं अन्य द्वारा दायर की गई है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. हमने अपीलार्थियों की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री वी. शेखर और प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एन. मिश्रा ने को सुना।

6. अपीलार्थियों की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री वी. शेखर ने यह तर्क दिया कि राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उ.प्र. राज्य के अभियोजन विभाग में विभिन्न पदों के वेतनमान में दिनांक 01.04.2001 से संशोधन करने का फैसला किया, जो समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप था। श्री शेखर ने तर्क दिया कि सीबीआई संगठन के संबंध में केंद्र में सादृश्य के बाद वेतनमान में संशोधन के लिए दिनांक 01.04.2001 की तिथि तय की गई थी। सीबीआई में वेतनमान के अनुसार राज्य की अभियोजन शाखा में विभिन्न पदों के वेतनमानों के लिए पहली बार सीबीआई संगठन की सादृश्यता को अपनाया गया था। अतः, उक्त लाभ के कार्यान्वयन की तिथि 01.04.2001 तय की गई थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि सरकारी आदेश 02.02.2007 दिनांकित से यह संकेत नहीं मिलता कि वेतनमान में कोई त्रुटि थी जो पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी को प्रदान की गई थी। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 01.04.2001 को तय करने में एक आनुपातिक आधार था

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जिसे प्रतिवादी द्वारा वैध रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने पूर्व के दो निर्णयों उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम आनंद कुमार मिश्रा एवं अन्य के मामले पर अवलम्ब लिया, जो उ.प्र. पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों का मामला था। उच्च न्यायालय द्वारा अवलम्बित दूसरा निर्णय घनश्याम सिंह का था जो राज्य के अभियोजन पक्ष से भी संबंधित नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा अवलम्बित दोनों निर्णय तथ्यों के अलग–अलग समूह में थे और विभिन्न पदों के लिए जिन्हें प्रतिवादी के मामले को आच्छादित करने के लिए नहीं कहा जा सकता और उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए त्रुटि किया कि प्रतिवादी का मामला पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा आच्छादित किया गया था।

7. यह आगे तर्क दिया गया कि अन्य डिवीजन बेंच ने रिट अपील सं.20754/2013 (सुधीर कुमार गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य) के अपने निर्णय 08.05.2018 दिनांकित के माध्यम से, जहां याचिकाकर्ता दिनांक 30.11.1999 को संयुक्त निदेशक (अभियोजन) के पद से सेवानिवृत्त हुए और दिनांक 01.01.1996 से सरकारी आदेश 02.02.2007 दिनांकित में लाभ के लिए किए गये दावे का रिट अपील उस निर्णय को सही ढंग से अवधारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि संयुक्त

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निदेशकों (अभियोजन) के लाभ को बढ़ाया नहीं जा सकता जो दिनांक 01.11.1999 को सेवानिवृत्त हुए थे।

8. प्रतिवादीगणों की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एन. मिश्रा के तर्क से असहमत अपीलार्थियों की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय मे अवलम्बित उच्च न्यायालय के दोनों डिवीजन बेंच के निर्णय पूर्णतः उपयुक्त थे। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घनश्याम सिंह के मामले में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी, जबकि एसएलपी (सी) सं.27765/2009 को विशेष अपील सं.870/2009 में उच्च न्यायालय के निर्णय 06.08.2009 दिनांकित के विरुद्ध दायर की गई थी, जिस एसएलपी को दिनांक 06.11.2009 को खारिज कर दिया गया था।

9. श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि जब पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिनांक 01.01.1996 से लागू की गई थीं, तो प्रतिवादी का वेतनमान ठीक से तय नहीं किया गया था और इसीलिए विसंगतियों के लिए समिति अस्तित्व में आई जिसने पुनरीक्षण और वेतनमान में संशोधन रू. 14300 से 18500 की सिफारिश की जो दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया।

11. पक्षकारों के बीच संयुक्त निदेशक, अभियोजन के पांचवें वेतन आयोग की परिशोधित वेतनमान रू.3700–5000 से रू.12000–16500 का कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी का पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ दिनांक 01.01.1996 से बढ़ाया गया था और तदनुसार उसकी पेंशन को परिशोधित किया गया था। राज्य सरकार ने सरकार के आदेश 23.12.1997 दिनांकित के माध्यम से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दिनांक 01.01.1996 से वेतनमान को परिशोधन करने का निर्णय लिया। अभियोजन निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों सहित कई विभागों द्वारा कई आपत्तियां और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। सरकारी आदेश 02.02.2007 दिनांकित का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है:

"प्रेषक,

(अपठनीय)

अवर सचिव उ.प्र. सरकार,

सेवा में,

महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय उ.प्र., लखनऊ.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पत्र सं .246/VI–P–9–07–31 (49)/2000 दिनांक 02.02.2007.

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में अभियोजन विभाग में मौजूद विभिन्न पदों के वेतनमान में संशोधन के संबंध में।

यह शीर्षक में दिये गए मामले के संदर्भ में है। मुझे यह कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी व्यक्तियों के वेतनमान आदि में परिशोधन के लिए गठित वेतन समिति 1997–99 की सिफारिशों के आधार पर और इस तरह की सिफारिशों के विचारार्थ, उक्त मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान इत्यादि में विसंगतियों की घटनाओं के मामलों में फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल, अभियोजन विभाग में विभिन्न पदों के लिए परिशोधित उच्च वेतनमान को संस्वीकृति देने की कृपा करते हैं, जैसा कि इस सरकारी आदेश के साथ संलग्न लेखा–चित्र के स्तंभ–2 में उल्लिखित है, सामान्य परिशोधित वेतनमान के स्थान पर दिनांक 01.01.1996 से लागू, जैसा कि उक्त लेखा –चित्र के स्तंभ –3 में दिखाया गया है, दिनांक 01.04.2001 से लागू किया जाएगा।

....
...."

12. सरकारी आदेश 02.02.2007 दिनांकित को सारणीबद्ध रूप में स्तंभों – पद, दिनांक 01.01.1996 से सामान्य परिशोधित वेतनमान, दिनांक 01.04.2001 से संशोधित वेतनमान और सिफारिशों को संलग्न किया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

था। सरकारी आदेश 02.02.2007 दिनांकित के संलग्नक का उद्धरण उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

क्रम सं.	**पद**	**दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी सामान्य परिशोधित वेतनमान**	**दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी संशोधित वेतनमान**	**सिफारिशें**
1	2	3	4	5
1.	अभियोजन अधिकारी	7450–11500	8000–13500	––
2.	वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (सामान्य स्तर)	8000–13500	10000–325–15200	––
3.	वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (उच्च स्तर)/ उप निदेशक अभियोजन	10000–15200	12000–375–16500	वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (उच्च वेतनमान)/ उप निदेशक का पद संयुक्त निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त होगा।
4.	संयुक्त निदेशक (विधि)/संयुक्त निदेशक (अभियोजन)	12000–16500	14300–400–18400	संयुक्त निदेशक (अभियोजन) और संयुक्त निदेशक (विधि) का पद अपर निदेशक (अभियोजन) और अपर निदेशक (विधि) के रूप में पुनर्नियुक्त होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हस्ताक्षरित/–
मंजू चंद्र
विशेष सचिव"

13. उपरोक्त संलग्नक का अवलोकन इंगित करता है कि अभियोजन विभाग के सभी अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन नहीं किया गया था, जैसा कि स्तंभ संख्या 4 में उल्लिखित है, केवल दिनांक 01.04.2001 से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (उच्च स्तर)/उप निदेशक अभियोजन और संयुक्त निदेशक (विधि)/संयुक्त निदेशक (अभियोजन) के लिए संशोधन किए गए थे।

14. अपीलार्थियों की तरफ से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों के प्रस्तुत करने के दौरान उस तिथि दिनांक 01.04.2001 को प्रस्तुत किया है जो मुख्य सचिव की समिति द्वारा केंद्र के सीबीआई संगठन में सादृश्य स्वीकार करने के कारण सिफारिश की गई थी। मुख्य सचिव की समिति की सिफारिश का संदर्भ देते हुए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक की उच्च वेतनमान की स्वीकृति केंद्र के सीबीआई संगठन की सादृश्यता के आधार पर था। अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये लिखित कथन में अभियोजन शाखा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के पद के लिए वेतनमान में संशोधन के विचार पर मुख्य सचिव की समिति की सिफारिशें जो परिशीलन के लिए रखी गयी हैं जो संकेत करता है कि कमेटी की सिफारिशें:

> "…..उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिकोण में समिति की सिफारिश है कि अभियोजन संवर्ग की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों को दिनांक 01.04.2001 से केंद्र के सीबीआई संगठन में मौजूदा पदों के सादृश्य उपरोक्त सामान्य निर्णय के अनुसार निम्नानुसार पदोन्नति किया जाना चाहिए।……"

15. मुख्य सचिव के समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और परिणामस्वरूप सरकार का आदेश दिनांक 02.02.2007 को तदनुसार जारी कर दिया गया।

16. आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने पूर्व के दो निर्णयों घनश्याम सिंह और आनंद कुमार मिश्रा एवं अन्य में अवलंब लेते हुए अवधारित किया कि प्रत्यर्थी का मामला उक्त निर्णयों द्वारा सम्बन्धित है, अतः रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि दिनांक 01.04.2001 को कट ऑफ तिथि कैसे तय की गई थी, यह अनिश्चित है। विभिन्न वेतनमानों की सिफारिश करने वाले विभिन्न विभागों के संबंध में समिति के विषमता की रिपोर्ट विभिन्न विभागों के पे –स्केल पर आधारित है और केवल इसलिए क्योंकि वायरलेस विभाग के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.1996 से उच्च वेतन दिया गया है जो घोषित करने का आधार नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हो सकता और दिनांक 01.04.2001 को संयुक्त निदेशक के वेतनमान का संशोधन लागू करने के लिए नियत किया गया अभियोजन अवैध है। हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में जो सार मिलता है वह केंद्र के सीबीआई संगठन के सादृश्य मुख्य सचिव की समिति द्वारा की गई सिफारिश को संयुक्त निदेशक, अभियोजन के वेतनमान में संशोधन करता है। इस प्रकार, सीबीआई संगठनों में वेतनमान के बढ़ाए जाने का लाभ पहली बार स्वीकार किया गया था। अभियोजन विंग के प्रतिवेदन को मुख्य सचिव की समिति द्वारा स्वीकार किया गया था जो केंद्र के सीबीआई संगठन के लाभों का विस्तार करने के लिए सहमत थी। जब वेतनमान में संशोधन प्रभावित हो रहा है तो हमें एकसमान तिथि 01.04.2001 को तय करने में कोई स्वेच्छाचारिता नहीं मिलती। श्री मिश्रा का तर्क है कि दिनांक 01.01.1996 से वेतनमान का संशोधन, जो कि पांचवें वेतन आयोग द्वारा तय की गई तिथि थी वह फिर से संबंधित होना चाहिए और वर्तमान मामले के तथ्यों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

17. श्री मिश्रा ने इस न्यायालय के निर्णय पर **पुरुषोत्तम लाल एवं अन्य** बनाम **भारत संघ एवं अन्य, (1973) 1 एससीसी 651** में भी अवलम्ब लिया है। उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं को वन अनुसंधान संस्थान एवं कॉलेज, देहरादून में नियोजित किया गया था जो खाद्य और कृषि मंत्रालय,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भारत सरकार का एक विभाग था। दूसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वैज्ञानिक स्टाफ के संबंध में सिफारिश की। वन अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक स्टाफ के वेतनमान में संशोधन दिनांक 21.06.1962 से प्रभावी था, जबकि इसी प्रकार के जुड़े हुए संस्थानों के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 1959 से सरकार द्वारा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान के उक्त वैज्ञानिक स्टाफ द्वारा विरोध किया गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और तत्पश्चात अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की। सरकार की ओर से इस न्यायालय के समक्ष तर्क किया गया था कि दूसरे वेतन आयोग ने याचिकाकर्ताओं के मामले के साथ समझौता नहीं किया और वे दिनांक 1 जुलाई, 1959 से लाभ के हकदार नहीं थे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तर 14,15 और 17 में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया:

> "14 सरकार की ओर से श्री ढेबर उसी स्थिति को बनाए रखते हैं और उनका कहना है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मामले के साथ समझौता नहीं किया। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। संदर्भ की शर्तें व्यापक हैं, और यदि सरकारी कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी को बाहर रखा गया है तो इस न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए था। वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी जांच के प्रयोजनों के लिए उन्होंने सभी व्यक्तियों को केंद्र सरकार की दीवानी सेवाओं में ले लिया था या उस सरकार के तहत दीवानी पदों को धारित करते हुए भारत के समेकित कोष से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किया था। श्री ढेबर द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया जाता है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कि याचिकाकर्ताओं को भारत की समेकित निधि से भुगतान किया जाता है।

15. श्री ढेबर का तर्क है कि यह सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना था और ऐसा करने के लिए यह निर्धारित करना कि कर्मचारियों की कौन सी श्रेणियों को संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। हम इस बिंदु की सराहना करने में असमर्थ हैं। या तो सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में संदर्भ दिया है या नहीं। लेकिन यदि इसने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कोई संदर्भ दिया है तो यह उन सिफारिशों को स्वीकार करता है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। यदि यह कुछ कर्मचारियों के संबंध में रिपोर्ट को लागू नहीं करता है, तो यह केवल संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। जहां तक इन याचिकाकर्ताओं का संबंध है यह सरकार ने ऐसा किया है।

17. परिणामस्वरूप याचिका की अनुमति है और यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के संशोधित वेतनमान, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 1959 से प्रभावी होगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को जुलाई 1959 से वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप उन्हें देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को याचिका का भार वहन करना होगा।"

18. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया है जिसे दूसरे वेतन आयोग द्वारा भी कवर किया गया था, लेकिन लाभों को बढ़ाया नहीं गया था, जबकि समान जुड़े हुए संस्थानों का लाभ बढ़ाया गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार, इस न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और दिनांक 1 जुलाई, 1959 से याचिकाकर्ताओं को भी लाभ देने का निर्देश दिया। उपरोक्त मामले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है। वर्तमान में जो अनुक्रम और घटनाएँ ऊपर वर्णित हैं वे तथ्यों के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं और उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले में प्रतिवादी की सहायता नहीं करता।

19. इस प्रकार, हमारा विचार है कि मुख्य सचिव के समिति की सिफारिश के आधार पर संयुक्त निदेशक, अभियोजन के पद के वेतनमान में संशोधन के लिए कट ऑफ तिथि 01.04.2001 एक सचेत निर्णय था जो केंद्र के सीबीआई संगठन के सदृश बनाया गया था। जब पहली बार कर्मचारियों के वर्ग के लिए लाभ बढ़ाया जाता है तो राज्य हमेशा तर्कसंगत कट ऑफ तिथि तय कर सकता है और यह राज्य के लिए अनिवार्य नहीं था कि वह केंद्र की सीबीआई संगठन की सादृश्यता का लाभ 01.01.1996 से लागू हो, जो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की तिथि थी। दिनांक 02.02.2007 के सरकारी आदेश द्वारा कवर न किए गए प्रतिवादी को सही ढंग से सूचित किया गया था कि वह दिनांक 31.01.1997 को पहले से ही सेवानिवृत्त हो गया था इसलिए वेतनमान में संशोधन के लाभ का हकदार नहीं था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

20. पूर्व के कथनों में हमारे दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय का निर्णय अवहनीय है और एतद्वारा अपास्त किया जाता है। अपील को अनुमति दी गई है।

.....

(न्यायमूर्ति अशोक भूषण)

.....

(न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौदर)

नई दिल्ली,

19 मार्च, 2020.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"